सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **251/2019** दायर दिनाँक **01.11.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राकेश पुत्र रामेश्वर उम्र 29 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. महावीर पुत्र रामेश्वर उम्र 45 वर्ष 2. गणपत पुत्र रामेश्वर उम्र 36 वर्ष 3. दिनेश पुत्र रामेश्वर उम्र 25 वर्ष 4. कैलाश पुत्र रामेश्वर उम्र 23 वर्ष 5. सुखी पत्नि रामेश्वर उम्र 70 वर्ष 6. घनश्याम पुत्र मनीराम उम्र 70 वर्ष 7. अर्जुनराम पुत्र मनीराम उम्र 40 वर्ष 8. जीतमल पुत्र मनीराम उम्र 37 वर्ष 9. बजरंगलाल पुत्र मनीराम उम्र 32 वर्ष 10. रामेश्वरी देवी पत्नि मनीराम उम्र 75 11. नन्दलाल पुत्र तुलछीराम उम्र 76 वर्ष 12. पुनमचन्द पुत्र स्व कन्हैयालाल उम्र 35 13. राजकुमार पुत्र स्व कन्हैयालाल उम्र 32 14. गीतादेवी पत्नि स्व. कन्हैयालाल उम्र 60 15. विमला पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 43 16. सुशीला पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 37 17. सरोज पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 32 वर्ष 18. रामाकिशन पुत्र तुलछीराम उम्र 60 वर्ष 19. लक्ष्मीनारायण पुत्र इन्द्रचन्द उम्र 42 वर्ष 20. लिछमादेवी पत्नि रामाकिशन उम्र 55 वर्ष 21. ओम प्रकाश पुत्र इन्द्रचन्द उम्र 45 वर्ष 22. आशा पुत्री इन्द्रचन्द उम्र 35 वर्ष 23. शोभा पुत्री इन्द्रचन्द उम्र 32 वर्ष 24. गोदावरी पत्नि इन्द्रचन्द उम्र 66 वर्ष समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 25. राज0 मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा बाटड़ी। 26. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री हरफुल राव वकील वादी

दिनाँक **15.09.2021**

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि [illegible] कृषि भूमि खसरा सं0 124 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा, खसरा [illegible] 158 [illegible]बा 43 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 263 रकबा [illegible] पटवार क्षैत्र व भू–अभिलेख [illegible] राज0 व खसरा सं0 01 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा [illegible] बगांव पटवार क्षैत्र लोरोली कलां व भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र, केराप [illegible]सील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि के उनके हक अधिकार की आई भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम मुकेश पुत्र रामेश्वर दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम राकेश पुत्र रामेश्वर लाल है, जो सही है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राकेश के स्थान पर मुकेश दर्ज कर दिया गया है।

यह है कि वादी को वर्तमान में नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ कि रेकर्ड में वादी का नाम मुकेश अंकित हो गया है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में राकेश पुत्र रामेश्वर अंकित हो रखा है, जो वादी का वास्तविक व सही नाम है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार हे–

यह है कि दावा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वाद–पत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार खसरा सं0 124 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 158 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 263 रकबा 14 बिस्वा गै0मु0 बाड़ी ग्राम बिंचावा तथा खसरा सं0 01 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम डाबगांव में वादी का नाम मुकेश के स्थान पर सही नाम राकेश राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 523 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 523 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 124, 158 व 263 वाकै सरहद बिंचावा व ग्राम डाबगांव के खसरा सं0 01 में खातेदार का नाम मुकेश पुत्र रामेश्वर के स्थान पर राकेश पुत्र रामेश्वरलाल राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद बिंचावा के खसरा सं0 124, 158 व 263 व ग्राम डाबगांव के खसरा सं0 01 में खातेदार का नाम मुकेश पुत्र रामेश्वर के स्थान पर राकेश पुत्र रामेश्वरलाल राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.09.2021 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **251/2019** दायर दिनाँक **01.11.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राकेश पुत्र रामेश्वर उम्र 29 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी बिंचावा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. महावीर पुत्र रामेश्वर उम्र 45 वर्ष 2. गणपत पुत्र रामेश्वर उम्र 36 वर्ष 3. दिनेश पुत्र रामेश्वर उम्र 25 वर्ष 4. कैलाश पुत्र रामेश्वर उम्र 23 वर्ष 5. सुखी पत्नि रामेश्वर उम्र 70 वर्ष 6. घनश्याम पुत्र मनीराम उम्र 70 वर्ष 7. अर्जुनराम पुत्र मनीराम उम्र 40 वर्ष 8. जीतमल पुत्र मनीराम उम्र 37 वर्ष 9. बजरंगलाल पुत्र मनीराम उम्र 32 वर्ष 10. रामेश्वरी देवी पत्नि मनीराम उम्र 75 11. नन्दलाल पुत्र तुलछीराम उम्र 76 वर्ष 12. पुनमचन्द पुत्र स्व कन्हैयालाल उम्र 35 13. राजकुमार पुत्र स्व कन्हैयालाल उम्र 32 14. गीतादेवी पत्नि स्व. कन्हैयालाल उम्र 60 15. विमला पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 43 16. सुशीला पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 37 17. सरोज पुत्री स्व. कन्हैयालाल उम्र 32 वर्ष 18. रामाकिशन पुत्र तुलछीराम उम्र 60 वर्ष 19. लक्ष्मीनारायण पुत्र इन्द्रचन्द उम्र 42 वर्ष 20. लिछमादेवी पत्नि रामाकिशन उम्र 55 वर्ष 21. ओम प्रकाश पुत्र इन्द्रचन्द उम्र 45 वर्ष 22. आशा पुत्री इन्द्रचन्द उम्र 35 वर्ष 23. शोभा पुत्री इन्द्रचन्द उम्र 32 वर्ष 24. गोदावरी पत्नि इन्द्रचन्द उम्र 66 वर्ष समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 25. राज0 मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा बाठड़ी। 26. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **15.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर तहसीदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद बिंचावा के खसरा सं0 124, 158 व 263 व ग्राम डाबगांव के खसरा सं0 01 में खातेदार का नाम मुकेश पुत्र रामेश्वर के स्थान पर राकेश पुत्र रामेश्वरलाल राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व [illegible]। डिक्री जारी हो। नीज..........–.......... मुबलिंग..........–.......... बाब[illegible]..........–.......... [illegible] को अदा ....खर्चा इस मुकद्दमें के म[illegible] सूद व [illegible] अदालत के आज [illegible] तारीख **15.09.2021** को सरे करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज [illegible] इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना ([illegible])

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:43:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner